कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–प्रारं/साप्र/डी/3077/वो–I/2010–11/282 दि. 25/02/2016

उप निदेशक,
प्रारंभि शिक्षा (समस्त)

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा (समस्त)

विषयः– भामाशाह, शहीद अथवा स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के नामों से नामांकित विद्यालयों के समन्वय होने पर विद्यालय के नामकरण से उत्पन्न भ्रान्तियों के निराकरण के लिए दिशा निर्देश।

प्रसंगः– प.11(40) शिक्षा–6/05 पार्ट जयपुर दिनांक 11.02.16

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार से प्राप्त प्रासंगिक परिपत्र की प्रति संलग्न भिजवाते हुए भामाशाह, शहीद अथवा स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के नामों से नामांकित विद्यालयों के समन्वय होने पर विद्यालय के नामकरण से उत्पन्न भ्रान्तियों के निराकरण के लिए प्रदत्त दिशा निर्देशानुसार तत्काल आवश्यक अपेक्षित कार्यवाही करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(अजीत सिंह)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक–पं.11(40) शिक्षा–6/05/पार्ट

जयपुर, दिनांक : 11/2/16

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक शिक्षा राजस्थान–बीकानेर
8 FEB 2016

विषय :– भामाशाह, शहीद अथवा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नामों से नामांकित विद्यालयों के समन्वयन होने पर विद्यालय के नामकरण से उत्पन्न भ्रान्तियों के निराकरण के लिए दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि विगत समय में विद्यालयों को व्यवस्थित करके अध्ययन–अध्यापन के सम्बन्ध में गुणात्मक सुधार हेतु विभिन्न विद्यालयों को समन्वित करने की कार्यवाही की गई थी। समन्वयन से भामाशाह, शहीद आदि के नाम से नामांकित विद्यालयों के नामकरण के सन्दर्भ में उत्पन्न भ्रान्तियों के निराकरण हेतु इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.04.2015 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

इसी क्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से नामांकित विद्यालयों के समन्वयन से उत्पन्न भ्रान्तियों के निराकरण हेतु परिवर्द्धित दिशा–निर्देश निम्नानुसार प्रसारित किये जाते हैं:–

1. राजकीय विद्यालय एवं भामाशाह/शहीद/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नामांकित विद्यालयों का समन्वयन:–

यदि किसी राजकीय विद्यालय का समन्वयन भामाशाह/शहीद/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नामांकित विद्यालय में अथवा भामाशाह/शहीद/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नामांकित विद्यालय का समन्वयन राजकीय विद्यालय में हुआ है, तो इस प्रकार के विद्यालय का नाम भामाशाह/शहीद/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (जैसी भी स्थिति हो) से आरंभ होकर 'राजकीय' शब्दावली का प्रयोग करते हुए नामांकित किया जावेगा।

उदाहरणार्थ–

1. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सांगानेर, जयपुर का समन्वयन भामाशाह रामलाल राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सांगानेर, जयपुर में किये जाने पर विद्यालय का नाम होगा– भामाशाह रामलाल राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सांगानेर, जयपुर।
2. भामाशाह श्यामलाल राजकीय प्राथमिक विद्यालय, वाटिका, जयपुर का समन्वयन राजकीय माध्यमिक विद्यालय, वाटिका, जयपुर में किये जाने पर विद्यालय का नाम होगा– भामाशाह श्यामलाल राजकीय माध्यमिक विद्यालय, वाटिका, जयपुर।
3. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, शाहपुरा, जयपुर का समन्वयन शहीद मोहनलाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, शाहपुरा, जयपुर में किये जाने पर विद्यालय का नाम होगा– शहीद मोहनलाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, शाहपुरा, जयपुर।

279

4. शहीद सोहनलाल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पावटा, जयपुर का समन्वयन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पावटा, जयपुर में किये जाने पर विद्यालय का नाम होगा– शहीद सोहनलाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पावटा, जयपुर।
5. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, महापुरा, जयपुर का समन्वयन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चमनलाल राजकीय माध्यमिक विद्यालय, महापुरा, जयपुर में किये जाने पर विद्यालय का नाम होगा– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चमनलाल राजकीय माध्यमिक विद्यालय, महापुरा, जयपुर।
6. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मगनलाल राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मोहनपुरा, जयपुर का समन्वयन राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मोहनपुरा, जयपुर में किये जाने पर विद्यालय का नाम होगा– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मगनलाल राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मोहनपुरा, जयपुर।

2. भामाशाह नामांकित, शहीद नामांकित एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नामांकित विद्यालयों का समन्वयनः–

किसी भामाशाह नामांकित विद्यालय का शहीद/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नामांकित विद्यालय में अथवा शहीद नामांकित विद्यालय का भामाशाह/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नामांकित विद्यालय में अथवा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नामांकित विद्यालय का भामाशाह/शहीद नामांकित विद्यालय में समन्वयन किया गया है तो विद्यालय के नामांकन में प्रथम प्राथमिकता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम की होगी, द्वितीय प्राथमिकता शहीद के नाम की होगी और तृतीय प्राथमिकता भामाशाह के नाम की होगी तथा चतुर्थ प्राथमिकता 'राजकीय' शब्दावली की होगी।

उदाहरणार्थ–

1. भामाशाह रामलाल राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सांगानेर, जयपुर का समन्वयन शहीद श्यामलाल राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सांगानेर, जयपुर में किये जाने पर विद्यालय का नाम होगा– शहीद श्यामलाल एवं भामाशाह रामलाल राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सांगानेर, जयपुर।
2. शहीद मोहनलाल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, वाटिका, जयपुर का समन्वयन भामाशाह सोहनलाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, वाटिका, जयपुर में किये जाने पर विद्यालय का नाम होगा– शहीद मोहनलाल एवं भामाशाह सोहनलाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, वाटिका, जयपुर।
3. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चमनलाल उच्च प्राथमिक विद्यालय, शाहपुरा, जयपुर का समन्वयन भामाशाह मगननलाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, शाहपुरा, जयपुर में किये जाने पर विद्यालय का नाम होगा– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चमनलाल एवं भामाशाह मगननलाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, शाहपुरा, जयपुर।
4. भामाशाह रामलाल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पावटा, जयपुर का समन्वयन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्यामलाल उच्च माध्यमिक विद्यालय, पावटा, जयपुर में किये

जाने पर विद्यालय का नाम होगा– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्यामलाल एवं भामाशाह रामलाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पावटा, जयपुर।

5. शहीद मोहनलाल प्राथमिक विद्यालय, महापुरा, जयपुर का समन्वयन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सोहनलाल राजकीय माध्यमिक विद्यालय, महापुरा, जयपुर में किये जाने पर विद्यालय का नाम होगा– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सोहनलाल एवं शहीद मोहनलाल राजकीय माध्यमिक विद्यालय, महापुरा, जयपुर।
6. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चमनलाल राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मोहनपुरा, जयपुर का समन्वयन शहीद मगननलाल माध्यमिक विद्यालय, मोहनपुरा, जयपुर में किये जाने पर विद्यालय का नाम होगा– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चमनलाल एवं शहीद मगननलाल राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मोहनपुरा, जयपुर।

3. <u>भामाशाह एवं भामाशाह अथवा शहीद एवं शहीद अथवा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नामांकित विद्यालयों का समन्वयनः–</u>

यदि दो भामाशाह नामांकित विद्यालयों का अथवा दो शहीद नामांकित विद्यालयों का अथवा दो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नामांकित विद्यालयों का समन्वयन हुआ है तो जिस विद्यालय में अन्य विद्यालय का समन्वयन हुआ है, उसके नाम को प्राथमिकता देते हुए विद्यालय का नामकरण किया जावेगा।

उदाहरणार्थ–

1. भामाशाह रामलाल राजकीय प्राथमिक विद्यालय, शाहपुरा, जयपुर का समन्वयन भामाशाह श्यामलाल राजकीय माध्यमिक विद्यालय, शाहपुरा, जयपुर में किये जाने पर विद्यालय का नाम होगा– भामाशाह श्यामलाल एवं भामाशाह रामलाल राजकीय माध्यमिक विद्यालय, शाहपुरा, जयपुर।
2. शहीद मोहनलाल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पावटा, जयपुर का समन्वयन शहीद सोहनलाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पावटा, जयपुर में किये जाने पर विद्यालय का नाम होगा– शहीद सोहनलाल एवं शहीद मोहनलाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पावटा, जयपुर।
3. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चमनलाल राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मोहनपुरा, जयपुर का समन्वयन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मगनलाल राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मोहनपुरा, जयपुर में किये जाने पर विद्यालय का नाम होगा– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मगनलाल एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चमनलाल राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मोहनपुरा, जयपुर।

4. <u>विद्यालयों के एक से अधिक परिसरों में संचालित होने की स्थिति में नामकरणः–</u>

उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 3 के अतिरिक्त यदि समन्वयन प्रक्रिया में समन्वित विद्यालय अलग–अलग परिसरों में संचालित है तो विद्यालय का नाम उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 3 के अनुसार ही रखा जाएगा एवं अलग–अलग परिसरों का नाम विद्यालय के नाम के नीचे कोष्ठक में उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/उच्च प्राथमिक/प्राथमिक परिसर, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में लिखा जाएगा।

उदाहरणार्थ–

1.1. उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 के उपबिन्दु संख्या 1 में विद्यालय के परिसरों के नाम होंगे–

- भामाशाह रामलाल राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सांगानेर, जयपुर
  (प्राथमिक परिसर)
- भामाशाह रामलाल राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सांगानेर, जयपुर
  (माध्यमिक परिसर)

2.1. उपरोक्त बिन्दु संख्या 2 के उपबिन्दु संख्या 1 में विद्यालय के परिसरों के नाम होंगे–

- शहीद श्यामलाल एवं भामाशाह रामलाल राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सांगानेर, जयपुर
  (प्राथमिक परिसर)
- शहीद श्यामलाल एवं भामाशाह रामलाल राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सांगानेर, जयपुर
  (माध्यमिक परिसर)

3.1. उपरोक्त बिन्दु संख्या 3 के उपबिन्दु संख्या 1 में विद्यालय के परिसरों के नाम होंगे–

- भामाशाह श्यामलाल एवं भामाशाह रामलाल राजकीय माध्यमिक विद्यालय, शाहपुरा, जयपुर
  (प्राथमिक परिसर)
- भामाशाह श्यामलाल एवं भामाशाह रामलाल राजकीय माध्यमिक विद्यालय, शाहपुरा, जयपुर
  (माध्यमिक परिसर)

उक्त दिशा–निर्देशों अनुसार विद्यालयों के नामकरण के प्रस्ताव निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त कर राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जावेंगे तथा राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त विद्यालयों का नामकरण किया जावेगा।

भवदीया

Sd/-

(आभा बेनीवाल)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

उप शासन सचिव

353/1
112

.1
5180
5198
337

2012

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः पं. 11(23)शिक्षा–6/08 ज -12/3/12

आयुक्त,
माध्यमिक शिक्षा,
राज0 बीकानेर ।

विषयः–शहीद सैनिकों के नाम विधालय नामकरण करने की नीति में संशोधन बाबत् ।
सन्दर्भः–सैनिक कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 5436 दिनांक 07.07.2011

महोदय,

उपरोक्त विषय में सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रेषित प्रस्तावानुसार राजकीय विधालयों के नामकरण के संबंध में जो नीति निर्धारित की हैं उसके बिन्दु संख्या 3 में अंकित "प्राथमिक विधालय" के स्थान पर "प्राथमिक विधालय तथा प्राथमिक विधालय शहीद के ग्राम में नहीं होने पर ग्राम में स्थित क्रमशः उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विधालय" संशोधित किया जाता हैं ।

भवदीय,
6/8/2012
उप शासन सचिव

प्रतिलिपिः
1. निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राज0 जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 5436 दिनांक 07.07.2011 के सन्दर्भ में ।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को सूचनार्थ ।

सहायक शासन सचिव

जारी किया
12/3/12

352
14

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक : प. 11(40)शिक्षा-6/2004 दिनांक : 8-5-08

जिला कलक्टर,
समस्त जिला —
राजस्थान ।

विषय:- विद्यालयों के नामकरण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि राजकीय विद्यालयों के नामकरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित नीति निर्धारित की गई है :-

1. जहाँ किसी सरकारी स्कूल के भवन का नामकरण पूर्व में ही अन्य के नाम से हो रहा है, वहाँ पर शहीदों के नाम से नाम नहीं बदला जाये।
2. जो सैनिक विभिन्न ऑपरेशनस् में शहीद हुए है, उन शहीदों के नाम से विद्यालयों का नामकरण केवल ऐसे मामले में किया जाये जिसमें शहीद को मरणोपरान्त गैलेन्टरी मैडल से सम्मानित किया गया हो ।
3. जो शहीद बैटल कैजुअल्टी की श्रेणी में आते है, उनके नाम पर केवल प्राथमिक विद्यालय का ही नामकरण किया जाये ।
4. महान विभूतियों, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से जो नामकरण पूर्व से ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किये जाते रहे है, उस नीति को यथावत रखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से ही नामकरण कराया जाये।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि आप द्वारा पूर्व में प्रेषित नामकरण से सम्बन्धित प्रस्तावों पर उपरोक्त नीति के संदर्भ में पुर्नरावलोकन कर आपकी टिप्पणी विभाग को भिजवाने की व्यवस्था कराये ।

भवदीय

शासन उप सचिव(शिक्षा)

जारी किया
8-5-08